नईदुनिया



## संपादकीय

### पूर्वोत्तर में दरार खतरनाक है असम-मेघालय विवाद संप्रभुता पर सवाल

*असम और मेघालय के बीच जो हो रहा है, वह केवल दो राज्यों का झगड़ा नहीं है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता के लिए गंभीर चुनौती है। बुधवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) की रैली के दौरान असम के लोगों के साथ मारपीट और उनके वाहनों को आग लगाने की घटना ने पूरे पूर्वोत्तर को अशांत कर दिया। इस हिंसा में 31 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें ज्यादातर असम नंबर की थीं। इसके बाद दोनों राज्यों ने एक-दूसरे की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी है।*

*असम और मेघालय का सीमा विवाद नया नहीं है। मेघालय 1972 में असम से अलग होकर बना था। तब से 12 क्षेत्रों को लेकर दोनों राज्यों में मतभेद हैं। लगभग 884 किलोमीटर लंबी सीमा पर अक्सर तनाव होता रहा है। केंद्र सरकार और दोनों राज्यों ने बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की है और छह क्षेत्रों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर अविश्वास अभी भी गहरा है। इस अविश्वास का फायदा कुछ संगठन उठा रहे हैं और स्थानीय लोगों को बाहरी बनाम भीतरी के नाम पर भड़का रहे हैं। जब छात्र संगठन की रैली में असम के आम नागरिकों पर हमला होता है तो यह आंदोलन नहीं, नफरत का प्रदर्शन बन जाता है।*

*भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता है। पूर्वोत्तर भारत का संवेदनशील क्षेत्र है, जहां चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में यदि देश के ही दो राज्यों के लोग एक-दूसरे को दुश्मन समझने लगें तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सड़क पर नाकेबंदी से संविधान के अनुच्छेद 19 और 301 के तहत मिलने वाली आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। आखिर जब देश में नागरिकों को बाहरी कहा जाएगा तो राष्ट्रीय एकता कैसे बचेगी?*

*असम और मेघालय विकास के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है और मेघालय की अधिकांश जरूरी वस्तुएं असम से होकर जाती हैं। मेघालय के पर्यटन और कृषि का बड़ा बाजार असम है। नाकेबंदी और मारपीट से दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। छात्रों, मजदूरों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।*

*केंद्र सरकार को दर्शक नहीं बनना चाहिए। गृह मंत्रालय को तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक करनी चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई संगठन इस तरह की हिंसा की हिम्मत न करे। सीमा विवाद सुलझाने वाली समितियों को भी तेजी से काम करना होगा। मेघालय के प्रबुद्ध नागरिकों, छात्र संगठनों और असम के लोगों को शांति की अपील करनी होगी। पहाड़ी और मैदानी लोगों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब भारतीय हैं और हमारी ताकत आपसी सहयोग में है।*

*असम-मेघालय विवाद चेतावनी है कि छोटे-छोटे स्थानीय विवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आपसी सहयोग ही हमें मजबूत बनाते हैं। जरूरत है कि हम राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर देश की एकता के बारे में सोचें और हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराएं। तभी हम एक मजबूत भारत का सपना पूरा कर पाएंगे।*

## आजकल

### एमपी में टीईटी की नई व्यवस्था शुल्क और ऑनलाइन परीक्षा, शिक्षकों में नाराजगी

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पहली परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू होगी और फॉर्म 21 अगस्त से जमा होंगे। परीक्षा ऑनलाइन होगी और शिक्षकों को प्रति विषय एक हजार रुपए शुल्क देना पड़ेगा। टीईटी की रूल बुक देखकर शिक्षकों का पारा चढ़ गया है। शिक्षकों ने ऑनलाइन परीक्षा और शुल्क पर आपत्ति जताई है।

सर्वोच्च न्यायालय के सितंबर 2025 के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी 2026 की अनिवार्यता तय की है। मंडल की रूल बुक के अनुसार सेवारत शिक्षकों सहित सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपए प्रति प्रश्नपत्र परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को 50 प्रतिशत और अन्य वर्ग के शिक्षकों को 60 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। परीक्षा में दो पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर में 120 अंकों के प्रश्न होंगे।

शुल्क की दर सबसे बड़ी आपत्ति का कारण बनी है। दो पेपर देने वाले शिक्षक को दो हजार रुपए फीस देनी होगी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह शुल्क बहुत अधिक है। सेवारत शिक्षकों से इतनी राशि लेना उचित नहीं है।

परीक्षा ऑनलाइन होना भी बड़ा मुद्दा है। मंडल का तर्क है कि इससे पारदर्शिता आएगी और नकल रुकेगी, लेकिन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, परीक्षा केंद्र की दूरी और तकनीकी जानकारी का अभाव परेशानी पैदा कर सकता है। कई शिक्षक लंबे समय से सेवा में हैं और कंप्यूटर का नियमित प्रयोग नहीं करते।

पात्रता परीक्षा का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है, लेकिन प्रक्रिया शिक्षकों के लिए बोझ नहीं बननी चाहिए। सरकार को सेवारत शिक्षकों के लिए शुल्क में राहत देने और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन विकल्प पर विचार करना चाहिए। तभी परीक्षा की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक होगी।

# बच्चों के खेलने का अधिकार होगा तय : स्कूलों में शारीरिक गतिविधि के लिए अनिवार्य हिस्सा बनेगा

## सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संकेत : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मोबाइल में ज्यादा उलझे हैं बच्चे

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज्यादा उलझे हुए हैं। ऐसे में बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। न्यायालय ने खेलों को भारतीय संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बताया और कहा कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ खेल को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब देशभर में बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। डॉक्टर और विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में मोटापा, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस पृष्ठभूमि में कोर्ट का यह रुख एक नई बहस को जन्म दे रहा है कि क्या स्कूलों में खेलों के लिए एक निश्चित समय और बजट अनिवार्य किया जाना चाहिए।

स्कूलों के बजट में खेलों के लिए एक निश्चित हिस्सा अनिवार्य रूप से तय किया जाए। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। न्यायालय की टिप्पणी से साफ है कि वह बच्चों में बढ़ती स्क्रीन टाइम की आदत को लेकर चिंतित है और चाहता है कि स्कूलों में खेलों को बराबर महत्व मिले।

यह मामला केवल खेल के पीरियड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कई निजी स्कूलों में खेल का मैदान तक नहीं है और जहां है भी, वहां खेल शिक्षक नहीं हैं या खेल के पीरियड में भी पढ़ाई करवाई जाती है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास रुक रहा है। यह जनहित याचिका खेल शोधकर्ता डॉ. कनिष्का पांडे ने दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा और खेलों के बीच कोई भेदभाव न करें, खेलों को शिक्षा का ही हिस्सा माना जाए और हर स्कूल में बच्चों के लिए प्रतिदिन कम से कम एक पीरियड शारीरिक गतिविधि के लिए अनिवार्य किया जाए। याचिका में लाइफ एनजीओ के अध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में स्कूली बच्चों में शारीरिक निष्क्रियता खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार पांच से 17 साल के बच्चों को रोजाना कम से कम 60 मिनट की शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, लेकिन भारत में अधिकांश बच्चे इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया है और कहा है कि यदि बचपन में ही खेल की आदत नहीं लगी तो आगे चलकर स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में यह भी कहा कि खेलों से न केवल शरीर, बल्कि चरित्र और टीम भावना भी बनती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है।

आज का बच्चा पहले से कहीं ज्यादा अकेला होता जा रहा है। पहले मोहल्लों में शाम होते ही बच्चे खेलने निकल जाते थे, लेकिन अब फ्लैट कल्चर और सुरक्षा की चिंता के कारण बच्चे घरों में बंद हो गए हैं। घर में भी उनका साथी मोबाइल फोन बन गया है। ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म ने उनके खेल के समय को पूरी तरह से निगल लिया है।

माता-पिता भी कई बार बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। इसका नतीजा यह है कि छोटी उम्र में ही आंखों में चश्मा लग रहा है और बच्चे मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी गंभीर समस्या की ओर इशारा किया है और कहा है कि बच्चों को मैदान में वापस लाना होगा। यदि स्कूलों में खेलों के लिए अनिवार्य हिस्सा तय होता है तो इसका सीधा असर निजी स्कूलों पर पड़ेगा, जो अभी तक केवल परीक्षा परिणाम के आधार पर अपनी साख बनाते हैं। खेल बजट अनिवार्य होने से मैदानों का विकास होगा, नए उपकरण आएंगे और खेल शिक्षकों की भर्ती होगी। इससे न केवल बच्चों को फायदा होगा, बल्कि खेल उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में विस्तृत जवाब नहीं आया है, लेकिन पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहले से ही शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए स्कूल स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि नीति कागजों में है, जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है। अगली सुनवाई में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को अपना पक्ष रखना होगा। न्यायालय यह भी तय कर सकता है कि क्या खेलों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं और क्या हर स्कूल में खेल के मैदान को मान्यता की अनिवार्य शर्त बनाया जाए।

भारत में शिक्षा प्रणाली ने हमेशा खेलों को अतिरिक्त गतिविधि माना है, मुख्य विषय नहीं, जबकि अमेरिका, जापान और यूरोप के कई देशों में शारीरिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जाता है। वहां हर दिन खेल का पीरियड होता है और उसके लिए नंबर भी दिए जाते हैं। भारत में भी यदि ऐसा होता है तो बच्चों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।

स्कूलों के बजट की बात करें तो अधिकांश बजट इमारत और शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है। खेलों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। कई सरकारी स्कूलों में तो एक फुटबॉल तक खरीदने का बजट नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रतिभावान बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते और देश खेलों में पीछे रह जाता है। ओलंपिक में कम मेडल आने का एक कारण यह भी है कि जमीनी स्तर पर खेलों को महत्व नहीं दिया जाता।

सर्वोच्च न्यायालय की यह पहल केवल एक याचिका की सुनवाई नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। खेलों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने से दोहरा फायदा होगा। एक तरफ बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, दूसरी तरफ देश को नई खेल प्रतिभाएं मिलेंगी। शहरों में जहां खेल मैदान तेजी से कम हो रहे हैं और बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा है, वहां इस तरह की न्यायिक पहल का स्वागत होना चाहिए। जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक ऐसी नीति बनाएं, जिसमें हर बच्चे को खेलने का अधिकार मिले और हर स्कूल में इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों। मोबाइल में उलझे हुए बच्चों को यदि समय रहते मैदान की ओर नहीं मोड़ा गया तो आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते चेतावनी दी है। अब गेंद सरकार और समाज के पाले में है कि वे इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

# साइबर सुरक्षा केवल तकनीक नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी हर क्लिक से पहले ठहरें, सोचें, पुष्टि करें

आज बैंकिंग, यूपीआई, शॉपिंग, केवाईसी और संवाद सब डिजिटल हो गए हैं। सुविधा बढ़ी तो साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल के प्रमुख अवेयरनेस एक्सपर्ट और सेंट्रल जोन के मैनेजर आशीष बंसल ने कहा कि अब तकनीकी हैकिंग नहीं, बल्कि डर, लालच और भरोसे का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों को ठगने के नए तरीके अपना रहे हैं। जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। आज लगभग हर काम ऑनलाइन है। अपराधी लोगों की जल्दबाजी और भरोसे का फायदा उठाकर फेक केवाईसी, यूपीआई फ्रॉड, क्यूआर स्कैन, फिशिंग लिंक और डीपफेक जैसे तरीके अपना रहे हैं। एक क्लिक में पैसा गायब हो जाता है, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है।

ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन, सीवीवी और पासवर्ड कभी शेयर न करें। पैसा प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन नहीं लगता। क्यूआर स्कैन करने से पहले लेनदेन की पुष्टि करें और हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या एप का ही इस्तेमाल करें। गूगल से नंबर सर्च न करें। शाखा जाकर आधिकारिक वेबसाइट, एप और कस्टमर केयर नंबर की पुष्टि करें और उसे सेव करें। केवाईसी बंद या खाता फ्रीज जैसी कॉल आए तो तुरंत काट दें। खुद बैंक की शाखा या आधिकारिक नंबर पर संपर्क करें। ओटीपी और पिन किसी को न बताएं।

आरबीआई ने बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपने डोमेन को डॉट बैंक डॉट इन में बदलने का निर्देश दिया था। इससे फर्जी वेबसाइट की पहचान करना आसान हुआ है। वेबसाइट का यूआरएल ध्यान से देखें और असली डोमेन ही खोलें। एनीडेस्क और टीमव्यूअर जैसे एप चलाकर बैंक की जानकारी चोरी की जा सकती है। अज्ञात व्यक्ति के कहने पर ऐसे एप कभी इंस्टॉल न करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और फोन को रिमोट से एक्सेस न करने दें। अनजान लिंक या एपीके में वायरस हो सकता है। इससे आपका डेटा चोरी और बैंक खाता खाली हो सकता है। केवल आधिकारिक स्टोर से ही एप डाउनलोड करें। ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी बनकर धमकाते हैं। डरकर पैसा ट्रांसफर न करें। पहचान की स्वतंत्र पुष्टि करें और तुरंत 1930 पर कॉल करें। ठगी होने पर सबसे पहले तुरंत 1930 पर कॉल करें। इसके साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें, बैंक को सूचित करें और सबूत संभालकर रखें।

पहले बैंक में शिकायत करें। समाधान न हो तो आरबीआई के 14448 नंबर पर शिकायत करें। परिवार और जेन जी की भूमिका पर भी ध्यान देना होगा। परिवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नियमित बात करें। कोई संदिग्ध कॉल आए तो जरूर पूछें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने माता-पिता और बुजुर्गों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। अपील है कि आप पांच लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जरूर बताएं।

साइबर सुरक्षा केवल बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तकनीक का उपयोग सावधानी से करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें और किसी भी दबाव में आकर पैसा ट्रांसफर न करें। यदि सभी लोग थोड़ी-सी सतर्कता बरतें तो साइबर ठगी के मामलों में बड़ी कमी आ सकती है और हमारा पैसा और डेटा सुरक्षित रह सकता है।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

# हे राम! एक आईफोन ने लील लीं तीन जिंदगियां एक गैजेट से बड़ी है जिंदगी, यह कब समझेगी पीढ़ी

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के तिसगांव इलाके के खावड्या पहाड़ से आई खबर ने देश को झकझोर दिया है। 19 साल के युवक कुणाल चंदगुड़े की आईफोन की जिद ने देखते देखते तीन जिंदगियां खत्म कर दीं। बेटे को पहाड़ी से कूदने से बचाने की कोशिश में पिता मुरलीधर चंदगुड़े (48) खाई में गिर गए और पति व बेटे की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर मां संगीता ने भी उसी पहाड़ से छलांग लगा दी। तीन घंटे तक गांव वाले उसे समझाते रहे, लेकिन सब बेबस हो गए। सवाल यह है कि क्या एक गैजेट जिंदगी से भी कीमती हो सकता है?

यह घटना उस खतरनाक सामाजिक बीमारी का चरम है, जिसमें मोबाइल संवाद का साधन कम और स्टेटस का सिंबल ज्यादा बन गया है। आईफोन किशोर और युवा के लिए फोन नहीं, पहचान बन गया है। इंस्टाग्राम रील, स्नैपचैट स्टोरी और दोस्तों में शो-ऑफ की संस्कृति ने यह भावना पैदा कर दी है कि आईफोन नहीं है तो वे पिछड़े, गरीब या कूल नहीं हैं।

इस घटना का दर्दनाक पहलू वह तीन घंटे का समय है। कुणाल सुबह 10 बजे पहाड़ी पर चढ़ गया था। गांव के लोग, पूर्व सरपंच और उसके माता-पिता उसे समझाते रहे। उसके पिता आखिरी मिनटों में उसके पास पहुंचे और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ा और दोनों खाई में गिर गए। जवान बेटे और पति को एक साथ खाई में गिरते देख मां ने सदमे में उसी पहाड़ से छलांग लगा दी।

संवादहीनता भी बड़ी वजह है। तिसगांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि मोबाइल की मांग को लेकर झगड़ा हुआ था। क्या हम बच्चों से इतना भी नहीं पूछ पाते कि उन्हें वह चीज क्यों चाहिए? जरूरत है या सिर्फ जिद? माता-पिता को प्यार और अनुशासन में संतुलन बनाना होगा। 'ना' कहना और 'ना' सुनना दोनों सीखना होगा। बच्चे को समझाना कि जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, यह भी प्यार का ही रूप है। इस घटना से सबक लेना होगा। स्कूलों में नैतिक शिक्षा की तरह गैजेट लिटरेसी भी पढ़ाई जानी चाहिए। फोन एक औजार है, मालिक आप हैं। सोशल मीडिया की चमक-दमक असली जिंदगी नहीं है। परिवार में संवाद लौटाना होगा। शाम को एक घंटा बिना मोबाइल के साथ खाना और बातचीत हो। बच्चे को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह महंगे फोन से नहीं, अपने गुणों से कीमती है। सरकार और प्रशासन को भी सोचना होगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गैजेट्स के विज्ञापनों पर नियंत्रण होना चाहिए। उस पहाड़ी पर तीन जिंदगियां खत्म नहीं हुईं, एक सवाल जिंदा हो गया है - हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, संस्कार या सामान? हम उन्हें क्या बना रहे हैं, इंसान या उपभोक्ता?

हे राम! वह आईफोन आज भी बाजार में मिल जाएगा, किस्तों पर भी मिल जाएगा, लेकिन वे तीन लोग वापस नहीं आएंगे। काश कुणाल समझ पाता कि जिस फोन के लिए वह जान दे रहा था, उसकी कीमत उसके माता-पिता की मेहनत से ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी जान की कीमत उनके जीवन से भी ज्यादा थी।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

## 84 महादेव दर्शन यात्रा

### 84 महादेव की धर्म यात्रा में 44 वाँ पड़ाव उत्तरेश्वर महादेव

# वो शिवलिंग जिसने सिखाया आसमान को अनुशासन, आज भी वही सबक दोहराता है हर लौटता मानसून

**डॉ. नवीन आनंद जोशी**

धरती जलमग्न हो रही थी, यज्ञ थम गए थे...फिर शिव ने मेघों को दी वह शिक्षा, जो आज भी हर बरसात में गूंजती है। इंद्र भी नहीं कर सके समाधान, तब भोलेनाथ ने संभाली सृष्टि की डोर: महाकाल वन की यह गाथा आज तक अनकही रही। उत्तर से आते हैं, बरसते हैं, लौट जाते हैं: मानसून के पीछे छिपा है शिव की आराधना का वह प्राचीन रहस्य । 84 महादेव श्रृंखला में । करुणानिधान शिव ने बदली मेघों की दिशा: उत्तरेश्वर महादेव, जहां क्रोध ने पाया साधना का मार्ग धरती डूब रही थी, यज्ञ बंद हो गए थे...फिर भगवान् शिव ने बादलों को सिखाया वो पाठ, जो आज भी बरसात के मौसम में गूंजता है।

महाकाल वन में विराजमान 84 महादेवों की श्रृंखला में उत्तरेश्वर महादेव का स्थान अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि यहां की कथा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति, मर्यादा और आत्मसंयम के गूढ़ रहस्य को उजागर करती है। प्राचीन काल में देवराज इंद्र के अनुशासन में मेघ नियमबद्ध होकर वर्षा करते थे-न अधिक, न कम, ठीक उतनी जितनी धरती को चाहिए थी। इसी संतुलन से अन्न पकता, नदियां प्रवाहित होतीं और यज्ञ-हवन निर्बाध चलते रहते। किंतु कालांतर में मेघों ने मर्यादा त्यागकर अपनी इच्छानुसार बरसना आरंभ कर दिया। कहीं जलप्लावन तो कहीं सूखा, यह असंतुलन इतना बढ़ा कि पृथ्वी जलमग्न होने लगी, नदियां उफान पर आ गईं और यज्ञ-हवन तक ठप्प पड़ गए। भयभीत ऋषि-मुनि इस विपदा को लेकर ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी व्यथा सुनाई।ब्रह्मा जी के आदेश पर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को स्मरण किया। इंद्र ने विनम्रतापूर्वक पूछा- 'महाप्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है?' देवगुरु ने पृथ्वी की त्रासदी का

संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इंद्र ने तत्काल मेघराज को बुलाकर मर्यादा में रहने का आदेश दिया। कुछ काल तक अनुशासन बना रहा, किंतु शीघ्र ही मेघों का उग्र स्वभाव पुन: जाग उठा और उन्होंने प्रलयतुल्य वर्षा से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। स्वयं इंद्र भी इस उपद्रव को शांत करने में असमर्थ रहे और अंतत: वे भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। समस्त वृत्तांत सुनकर करुणानिधान शिव ने उत्तर दिशा के मेघों को आह्वान किया, जिनके साथ एक करोड़ मेघ उपस्थित हुए। सभी ने विनयपूर्वक भगवान से आज्ञा मांगी। तब शिव ने आदेश दिया- 'तुम महाकाल वन में जाकर भगवान गंगेश्वर की आराधना करो, इससे तुम्हारा क्रोध शांत होगा और अनावश्यक वर्षा की प्रवृत्ति स्वत: समाप्त हो जाएगी।' मेघों ने शिवाज्ञा शिरोधार्य कर घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि यह पावन स्थल उत्तरेश्वर नाम से त्रिलोक में विख्यात होगा और यहां स्थापित शिवलिंग सदा-सर्वदा उत्तरेश्वर महादेव के नाम से पूजित होगा।

रोचक बात यह है कि यही आख्यान आज भी भारत की धरती पर साक्षात घटित होता दिखाई देता है। जिस प्रकार कथा में 'उत्तर के मेघ' विशेष रूप से उल्लिखित हैं, वैसे ही आज विज्ञान भी बताता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के पश्चात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य उत्तर-पूर्वी दिशा से लौटता हुआ मानसून सक्रिय होता है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव तमिलनाडु और दक्षिण-पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है। यह दर्शाता है कि भारत में वर्षा एक ही दिशा, एक ही समय अथवा एक ही स्वभाव की बंधक नहीं-हवाएं आती हैं, दिशा बदलती हैं, लौटती हैं, और प्रत्येक क्षेत्र को यथासमय जल प्रदान करती हैं। यहीं से भारतीय दर्शन का वह गूढ़ सत्य प्रकट होता है कि प्रकृति अपनी मनमानी से नहीं, अपितु ऋतु और नियम के अनुशासन में ही गतिशील रहती है।

उत्तरेश्वर महादेव की यह कथा वस्तुत: मनुष्य के भीतर उठने वाले क्रोध का ही रूपक है। जिस प्रकार मेघों में कभी संयम तो कभी उग्रता की लहर उठती रही, ठीक वैसे ही मनुष्य के मन में भी क्रोध की तरंगें कभी चढ़ती हैं तो कभी उतरती हैं। इच्छा जब मर्यादा लांघती है तो असंतोष जन्म लेता है, असंतोष बढ़कर क्रोध बनता है, और अनियंत्रित क्रोध विवेक को ढक देता है। स्वयं भगवान शिव, जिनके ललाट पर तीसरा नेत्र क्रोध का प्रतीक माना जाता है, इस कथा में क्रोध को नष्ट नहीं करते बल्कि उसे आराधना और साधना के मार्ग पर मोड़ देते हैं- यही सनातन धर्म का सबसे मार्मिक संदेश है। शक्ति का दमन नहीं, अपितु उसका परिष्कार ही वास्तविक कल्याण है।

आज भी भारत के अनेक गांवों में जब वर्षा रुक जाती है, तो लोग सामूहिक रूप से खुले आकाश तले भोजन बनाकर इंद्र और प्रकृति का स्मरण करते हैं-यह केवल जल-याचना नहीं, अपितु यह स्वीकारोक्ति है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका विनम्र अंश मात्र है। किसान बीज बो सकता है, श्रम कर सकता है, किंतु वर्षा उसके अधिकार क्षेत्र से परे है। उत्तरेश्वर महादेव की यह गाथा इसीलिए युगों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि यह मनुष्य को इच्छा, आसक्ति और क्रोध के चक्र से बचकर संयम और धर्म की मर्यादा में रहने की शिक्षा देती है। महाकाल वन की यह पावन भूमि आज भी उन असंख्य श्रद्धालुओं की साक्षी है, जो उत्तरेश्वर महादेव के दर्शन कर अपने भीतर के उग्र भावों को शिव-चरणों में समर्पित कर शांति प्राप्त करते हैं।